न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	61/2021
दायर दिनांक	:	07.04.2021
निर्णय दिनांक	:	23.04.2025

1. रमकीदेवी पत्नी लक्ष्मण जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
2. भौतीदेवी पत्नी बाबूलाल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
3. कमली पत्नी मनोहरलाल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
4. बाबू पुत्र भोमा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
5. केसन्ता पत्नी स्व॰ हरिराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
6. सुरेश पुत्र स्व॰ हरिराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
7. सुल्तान पुत्र स्व॰ हरिराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
8. फोरन्ता पुत्री स्व॰ हरिराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
9. रसाल पुत्री स्व॰ हरिराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
10. मनोहर पुत्र अर्जुन जाति गुर्जर, निवासीं ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. सिंचाई विभाग जरिये अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड दौसा
3. राजाराम पुत्र कजोड जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
4. जगदीश पुत्र कजोड जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
5. बीरबल पुत्र कजोड जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
6. रामेश्वर पुत्र कजोड जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
7. मीठालाल पुत्र कजोड जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
8. गुलाबसिंह पुत्र कजोड जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
9. धापादेवी पत्नी किलाण जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
10. बुद्धसिंह पुत्र किलाण जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
11. रामभरोस पुत्र किलाण जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
12. कंचन पुत्र किलाण जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
13. जसोदादेवी पत्नी हंसराज जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
14. दीपेन्द्र पुत्र हंसराज नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता जसोदादेवी जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
15. संगीता पुत्री हंसराज नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता जसोदादेवी जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
16. भम्भू पुत्र भौंरया जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
17. ताराचन्द पुत्र रामहेत जाति गुर्जर, निवांसी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
18. हट्टूराम पुत्र रामहेत जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:41:36 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

19. मानसिंह पुत्र रामहेत जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
20. रोशन पुत्री रामहेत जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
21. शान्ति पत्नी रामहेत जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
22. सुरज्ञान पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
23. हजारीलाल पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
24. जगदीश पुत्र अर्जुन जाति गुर्जर, निवासी लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 व अप्रार्थी संख्या 24 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255 कुल किता 20 कुल रकबा 4.27 है. एवं प्रार्थी संख्या 1, 3 लगायत 10 व अप्रार्थी संख्या 24 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 234 रकबा 0.15 है. एवं प्रार्थी संख्या 1, 3 लगायत 10 व अप्रार्थी संख्या 24 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 241 रकबा 0.03 है. ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा जिला दौसा स्थित है। खातेदार हरिराम की मृत्यु हो चुकी है, जिसके विधिक वारिसान प्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 हैं। उक्त आराजियात के सीमाचिह्नों को असामाजिक तत्वों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 12 प्रार्थीगण की जमीन को हडपना चाहते हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच अपनी सीमा को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी की भूमि जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 23 की भूमि की सीमा से लगती हुई है की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255 कुल किता 20 कुल रकबा 4.27 है., खसरा नम्बर 234 रकबा 0.15 है. एवं खसरा नम्बर 241 रकबा 0.03 है. वाके ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा की पत्थरगढी मय पुलिस जाब्ता के करवाये जाने का आदेश तहसीलदार दौसा को फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 24 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश गुर्जर ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 23 के विरुद्ध बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 12 द्वारा प्रकरण में सीमाज्ञान/पत्थरगढी किये जाने में अपनी अनापत्ति जतायी गयी। अप्रार्थी संख्या 24 द्वारा बावजूद अवसर जवाब पेश न किये जाने के कारण इनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लोटवाडा स्थित खसरा नम्बर 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255 कमली पत्नी मनोहर हिस्सा 1/7, बाबू पुत्र भोमा हिस्सा 1/9, हरिराम पुत्र भोमा हिस्सा 1/9, जगदीश पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/6, मनोहर पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/6, भौति देवी पत्नी बाबूलाल हिस्सा 2000/18977, रमकी पत्नी लक्ष्मण हिस्सा 1/9, रमकी पत्नी लक्ष्मण हिस्सा 2948/18977 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Lumiya
Date: 2025.10.08 17:41:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

नम्बर 241 व खसरा नम्बर 234 कमली पत्नी मनोहर हिस्सा 1/7, जगदीश पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/6, बाबू पुत्र भोमा हिस्सा 1/9, मनोहर पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/6, रमकी पत्नी लक्ष्मण हिस्सा 19/63, हरिराम पुत्र भोमा हिस्सा 1/9 जाति गुर्जर सा॰ देह खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 470, 255/585 पर मा॰ न्यायालय सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट महो॰ दौसा के वाद संख्या 81/2019 दिनांक 12.07.2019 के द्वारा उनवान राजाराम राज॰ सरकार पर स्थगन आदेश है। खसरा नम्बर 255 व 250 उक्त खसरों से प्रभावित है। अतः खसरा नम्बर 255 व 250 को छोडकर बाकी सभी खसरों पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी किया जाना सम्भव है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार दौसा के जवाब का अवलोकन करने पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रश्नगत आराजी के समस्त खातेदारों को प्रार्थीगण/अप्रार्थी संख्या 24 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजी के मृतक खातेदार हरिराम के वारिसान को प्रार्थी संख्या 5 लगायत 9 के रूप में प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में यह भी कथन किया है कि खसरा नम्बर 470, 255/585 पर मा॰ न्यायालय सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट महो॰ दौसा के वाद संख्या 81/2019 दिनांक 12.07.2019 के द्वारा उनवान राजाराम राज॰ सरकार पर स्थगन आदेश है। खसरा नम्बर 255 व 250 उक्त खसरों से प्रभावित है। खसरा नम्बर 255 व 250 को छोडकर बाकी सभी खसरों पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी किया जाना सम्भव है। निषकर्षतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम लोटवाडा तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 234, 241 का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। सीमाज्ञान/पत्थरगढी से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त खसरा नम्बरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है, यदि किसी भी खसरा नम्बर पर स्थगन आदेश है तो स्थगन आदेश से प्रभावित खसरा नम्बर का सीमाज्ञान/पत्थरगढी नहीं की जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। सीमाज्ञान/पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:41:36 IST
Reason: SelfAttested

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा